Mark'd ...

OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES
(GOVT. OF NCT OF DELHI)
9TH LEVEL, C-WING, DELHI SACHIVALAYA
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F. No. PA/AD/LB/2018/10186-10190 Dated : 05-09-19

To

1. The Commissioner, North DMC, Dr S.P.M. Civic Centre, New Delhi.
2. The Commissioner, South DMC, Dr S.P.M. Civic Centre, New Delhi.
3. The Commissioner, East DMC, 419, Patparganj Industrial Area, Delhi.

Sub : **Amendment in Recruitment Rules for the posts of (1) Medical Officer (Ayurveda), (2) Senior Medical Officer (Ayurveda), (3) Chief Medical Officer (Ayurveda) and (4) Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda) in North, South & East Delhi Municipal Corporation**

Sir,

I am directed to find enclosed herewith Notification for amendment of Recruitment Rules for the posts of (1) Medical Officer (Ayurveda), (2) Senior Medical Officer (Ayurveda), (3) Chief Medical Officer (Ayurveda) and (4) Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda) for three Municipal Corporations which has been Notified in Govt. Gazette on 20.08.2019 vide this office Notification No F4(9)/RR/LB/2018/CD-000000464974/9095-9104 under Section 98 & 480 of DMC Act 1957 for taking necessary action.

Yours faithfully,

Sd/-

(ANIL GHILDIYAL)
Dy. Director (Local Bodies)

Copy to :-

1. The Secretary, Union Public Service Commission (RRs Branch), Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi.

2. The Programmer, Urban Development Department, Govt. of NCT of Delhi, 9th Level, Delhi Secretariat, New Delhi, for uploading in the website of Directorate of Local Bodies under Urban Development Department.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2019/श्रावण 29, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 140

No. 175] DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2019/SHRAVANA 29, 1941 [N.C.T.D. No. 140

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

(कार्यालय निदेशक स्थानीय निकाय)

अधिसूचना

दिल्ली, 19 अगस्त, 2019

सं. फा. 4(9)/आरआर/एलबी/2018/सीडी–000464974/9095–9104.–दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 13 अप्रैल 2004 को अधिसूचित पूर्ववर्ती भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किये जाने के लिए हटाई जाने वाली बातों के सिवाय, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगमों में चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)(आयुर्वेद) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये एतद् द्वारा सूचनार्थ प्रकाशित किया जाते हैं , अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)(आयुर्वेद) उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगमों में भर्ती विनियम, 2018 कहा जाए।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उसके साथ संलग्न इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची I से IV के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. छूट प्रदान करने की शक्ति.—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से किन्हीं व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. बचाव.—इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची– I

1.	**पदनाम**	:	**चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)**
2.	**पदों की संख्या**	:	223* (2018) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। (उत्तर दिल्ली नगर निगम–120 दक्षिण दिल्ली नगर निगम –53 पूर्व दिल्ली नगर निगम–50) **टीप** : चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) (आयुर्वेद) के कुल संयुक्त स्वीकृत पदों की संख्या 223
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन स्तर–10 जमा नियमों के तहत स्वीकार्य एनपीए
5.	**क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	35 वर्ष से अधिक नहीं **टीप–1**: (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **नोट–2**: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि है तथा असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सांविधिक राज्य बोर्ड /परिषद/भारतीय चिकित्सा संकाय से आयुर्वेद में उपाधि । (ii) भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर पर नामांकन या भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर पर नामांकन।

			टीपः–अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्व करते हुए योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	एक वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	**सीधी भर्ती द्वारा** **टीप** : पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत या सांविधिक संगठनों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा भरी जा सकेंगी। (क) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, तथा (ख) सीधी भर्ती के लिए कॉलम 7 के अन्तर्गत विनिर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले **टीप 2**: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**"क" वर्गीय विभागीय स्थाईकरण समिति :–** 1. संबंधित निगम का अपर आयुक्त आई/सी (स्थापना) –अध्यक्ष 2. संबंधित निगम का अपर आयुक्त आई/सी (स्वास्थ्य) –सदस्य 3. संबंधित निगम का निदेशक, आयुष –सदस्य 4. संबंधित निगम का निदेशक (कार्मिक) –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अनुसूची–II

1.	**पदनाम**	:	**वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)**
2.	**पदों की संख्या**	:	223* (2018) ***इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।** (उत्तर दिल्ली नगर निगम–120 दक्षिण दिल्ली नगर निगम –53 पूर्व दिल्ली नगर निगम–50)

			टीप : चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी)(आयुर्वेद) के कुल संयुक्त स्वीकृत पदों की संख्या 223
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन स्तर–11 जमा नियमों के तहत स्वीकार्य एनपीए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	रिक्तियों को लिंक किए बिना पदोन्नति द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) टीप :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :– 1. संबंधित निगम का आयुक्त –अध्यक्ष 2. संबंधित निगम का अपर आयुक्त / आई/सी (स्था.) –सदस्य 3. संबंधित निगम का अपर आयुक्त / आई/सी (स्वा.) –सदस्य 4 संबंधित निगम का निदेशक (आयुष) –सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

अनुसूची–III

1.	पदनाम	:	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)
2.	पदों की संख्या	:	223* (2018) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। (उत्तर दिल्ली नगर निगम–120 दक्षिण दिल्ली नगर निगम –53 पूर्व दिल्ली नगर निगम–50)

			टीप : चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) (आयुर्वेद) के कुल संयुक्त स्वीकृत पदों की संख्या 223
3.	**वर्गीकरण**	:	श्रेणी 'क'
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	वेतन स्तर–12 जमा नियमों के तहत स्वीकार्य एनपीए
5.	**क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद**	:	चयन
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ**	:	लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा –रिक्तियों को सम्बद्धता के बिना ।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–11 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर–11 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के ग्रेड में नौ वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के ग्रेड में कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 में चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद)। **टीप :–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :–** 1. संबंधित निगम का आयुक्त –अध्यक्ष 2. संबंधित निगम का अपर आयुक्त / आई/सी (स्था.) –सदस्य 3. संबंधित निगम का अपर आयुक्त / आई/सी (स्वा.) –सदस्य 4. संबंधित निगम का निदेशक (आयुष) –सदस्य
13.	**वे परिस्थितियॉं जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

अनुसूची – IV

1.	पदनाम	:	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) (आयुर्वेद)
2.	पदों की संख्या	:	223* (2018) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है। (उत्तर दिल्ली नगर निगम–120 दक्षिण दिल्ली नगर निगम –53 पूर्व दिल्ली नगर निगम–50) **टीप** : चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनएफएसजी) (आयुर्वेद) के कुल संयुक्त स्वीकृत पदों की संख्या 223
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन स्तर–13 जमा नियमों के तहत स्वीकार्य एनपीए ।
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन ।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं ।
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं ।
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा –रिक्तियों को सम्बद्धता के बिना ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	:	पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर–12 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) 'क' श्रेणी के पदों में तेरह वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने पर गैर–प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड में रखा जाएगा या वेतन मैट्रिक्स के स्तर –12 में मुख्य चिकित्सा के अधिकारी के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर । **टीप** :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	**"क" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति :–** 1. तीन दिल्ली नगर निगमों में वरिष्ठतम आयुक्त –अध्यक्ष 2.–3 आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम –सदस्य आयुक्त, दक्षिण उत्तर दिल्ली नगर निगम –सदस्य आयुक्त, पूर्व उत्तर दिल्ली नगर निगम –सदस्य 4. अपर आयुक्त, (स्था0) उत्तर दिल्ली नगर निगम – सदस्य

			5. अपर आयुक्त, (स्वा0) उत्तर दिल्ली नगर निगम – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अनिल घिल्डियाल, उप निदेशक (स्थानीय निकाय)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 19th August, 2019

No. F. 4(9)/RR/LB/2018/CD-000464974/9095-9104.—The following regulations, made by the Municipal Corporation of Delhi in exercise of the powers conferred by section 98 read with sub-section (2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and in supersession of earlier recruitment regulations notified on 13th April, 2004 except as respects things done or omitted to be done such before supersession, after consultation with Union Public Service Commission and approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, for regulating the method of recruitment to the posts of Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer and Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda), in North, South and East Delhi Municipal Corporations, are hereby published for information; namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called **Medical Officer, Senior Medical Officer, Chief Medical Officer and Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda) in North, South and East Delhi Municipal Corporations Recruitment Regulations, 2018**.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.**—The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules I to IV annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.—**Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedules.

4. **Disqualification.**—No person, -

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes,

Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE - I

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether Selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
MEDICAL OFFICER (AYURVEDA)	**223*** (2018). *Subject to variation dependent upon workload. North DMC - 120* South DMC - 53* East DMC - 50* **Note :** The posts of Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), And Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda), are to be operated within the Total combined sanctioned strength of 223.	Category 'A'.	Level 10 Plus NPA as admissible under the Rules.	Not applicable.	Not exceeding 35 years **Note 1** : (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 2** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir state, Lahaul and Spiti districts and Pangi Subdivision of of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10

(i) A degree in Ayurveda from a Recognized University or Statutory State Board/ Council/ Faculty of Indian medicine recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970). (ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or State Register of Indian Medicine. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	One Year.	By Direct Recruitment. Note – Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation (Including Short Term Contract) from officers of the Central Government or State Government or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakiugs or Autonomous or Statutory Organizations: (A) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; and (B) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column 7. Note : (Period of Deputation (Including Short Term Contract) including period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appoiutment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment.
11	12	13
Not applicable.	Category `A' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Additional Commissioner I/C (Estt.) of respective Corporation - Chairman. 2. Additional Commissioner I/C (Health) of respective Corporation – Member. 3. Director of AYUSH of respective Corporation – Member. 4. Director (Personnel) of respective Corporation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

SCHEDULE - II

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
SENIOR	**223* (2018).**	Category 'A'.	Level 11 Plus	Selection.	Not applicable.

MEDICAL OFFICER (AYURVEDA).	*Subject to variation dependent upon workload. North DMC - 120* South DMC - 53* East DMC - 50* Note : The posts of Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), And Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda), are to be operated within the total combined sanctioned strength of 223.		NPA as admissible under the rules.		

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion without linkage to vacancies.

In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment.
11	12	13
Promotion: Medical Officer (Ayurveda) in Level -10 in the Pay Matrix with four years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.	Category `A' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Commissioner, respective Corporation -Chairman. 2. Additional Commissioner/ I/C (Estt.), respective Corporation -Member. 3. Additional Commissioner/ I/C (Health) respective Corporation –Member. 4. Director of AYUSH, respective Corporation – Member. 5. Director (Personnel) respective Corporation –Member.	Consultation with Union Service Public Commission not necessary.

SCHEDULE-III

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
CHIEF MEDICAL OFFICER (AYURVEDA).	**223* (2018).** *Subject to variation depending on workload. North DMC – 120* South DMC - 53* East DMC -50* Note : The posts of Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), And Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda), are to be operated within the total combined sanctioned strength of 223.	Category 'A'	Level 12 Plus NPA as admissible under the rules.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion without linkage to vacancies.

In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment.
11	12	13
Promotion: Senior Medical Officer (Ayurveda) in Level 11 in Pay Matrix with five years of regular service in the grade or Nine years combined regular service in the grades of Senior Medical Officer (Ayurveda) in Level 11 in Pay Matrix and Medical Officer (Ayurveda) in Level 10 in Pay Matrix with at least Two years regular service in the grade of Senior Medical Officer (Ayurveda). **Note**: Where juniors who have completed their qualifying / eligibility service are being considered for promotion. Their seniors would also be considered provided they are	Category `A' Departmental Promotion Committee consisting of. 1. Commissioner, respective Corporation - Chairman. 2. Additional Commissioner/ I/C (Estt.), of respective Corporation – Member. 3. Additional Commissioner/ I/C (Health) of respective Corporation – Member. 4. Director of AYUSH, respective Corporation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.		

SCHEDULE – IV

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.	Whether Selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6
CHIEF MEDICAL OFFICER (NFSG) (AYURVEDA.)	**223* (2018).** *Subject to variation dependent upon workload. North DMC - 120* South DMC - 53* East DMC – 50* Note : The posts of Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda), Chief Medical Officer (Ayurveda), And Chief Medical Officer (NFSG) (Ayurveda), are to be operated within the Total combined sanctioned strength of 223.	Category 'A'.	Level 13 Plus NPA as admissible under the rules.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion without linkage to vacancies.

In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making Recruitment.
11	12	13
Promotion:	Category 'A' Departmental Promotion Committee	Consultation with

Chief Medical Officer (Ayurveda) in Level 12 in Pay Matrix, shall be placed in the non-functional selection grade on completion of Thirteen years of regular service in Category 'A' posts or on completion of four years of regular service as Chief Medical Officer in Level 12 of Pay Matrix. Note: Where juniors who have completed their qnalifying / eligibility service are being considered for promotion. Their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying / eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.	consisting of. 1. Senior most Commissioner in three Delhi Municipal Corporation - Chairman. 2-3. Commissioner North Delhi Municipal Corporation - Member. Commissioner South Delhi Municipal Corporation - Member. Commissioner East Delhi Municipal Corporation - Member. 4. Additional Commissioner (Estt.) North Delhi Municipal Corporation – Member. 5. Additional Commissioner (Health.) North Delhi Municipal Corporation – Member.	Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

ANIL GHILDIYAL, Dy. Director (Local Bodies)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.08.23 12:37:31 +05'30'